

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— रामनिवास मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 55/2023

दायर दिनांक 22.06.2023

रजि०नं०—2023/106

उनवान

1. तुंग्या पुत्र भारमल जाति माली निवासी भैसड़ा हाल रेतीपाड़ा कोटा रोड़ सांगोद कोटा।
2. पुष्पाबाई पुत्री बाला पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी भैसड़ा हाल सांगोद बपावर जिला कोटा

वादीगण

—:बनाम:—

1. पांच्या पुत्र किशना जाति माली निवासी भैसड़ा हाल बैसार तह० खानपुर जिला झालावाड़।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां।
3. मंदिर श्री शंकर पार्वती माली समाज विराजमान ग्राम भैसड़ा जयें व्यवस्थापक जगदीश पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी भैसड़ा तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादी— विद्वान अभिभाषक श्री कन्नुप्रिय सुमन प्रति. क्रम 1

निर्णय

दिनांक 09/09/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रकरण न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश दिनांक 13.12.2019 की पालना में पुनः दर्ज किया गया। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण/रेस्पोंडेन्ट ने मूल दावा प्रकरण संख्या 129/2006 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया था जिसमें इस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के निर्णय दिनांक 22.05.2012 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी ग्राम भैसड़ा की विवादित आराजी खाता सं० 105 की आराजी ख०नं० 1023 रकबा 0.92 है०, ख०नं० 629/1258 रकबा 0.15 है०, ख०नं० 630/1259 रकबा 0.05 है० कुल

किता 3 कुल रकबा 1.12 है0 वादिनी नं0 2 पुष्पाबाई को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 3 मंदिर शिव पार्वती भैंसडा का हिस्सा 3/4 एवं ख0नं0 179 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 180 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 626 रकबा 2.02 है0, ख0नं0 717 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 722 रकबा 0.33 है0 कुल किता 5 रकबा 2.50 है0 मे वादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा, वादी क्रम 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार अटरू से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के निर्णय दिनांक 22.05.2012 की प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील दायर की गई जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.12.2019 से प्रतिवादी/अपीलान्ट की अपील खारिज करते हुये इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2012 को यथावत रखा गया है।

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 13.12.2019 की अनुपालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1453 दिनांक 26.07.2023 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश किया गया जिससे अभिभाषक वादीगण एवं अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 1 सहमत है।

अतः न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 13.12.2019 के आधार पर तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी ग्राम भैंसडा के खाता संख्या 105 के ख0 नं0 179 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 180 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 626 रकबा 2.02 है0, ख0नं0 717 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 722 रकबा 0.33 है0 कुल किता 5 रकबा 2.50 है0 तथा खाता संख्या 292 ख0नं0 1023 रकबा 0.92 है0, ख0नं0 629/1258 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 630/1259 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 रकबा 1.12 है0 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

| खाता सं0 | खातेदार का नाम | ख0नं0 | रकबा | किस्म | दिशा |
|----------|--|--------|----------|---------|---------------|
| 105 | पांच्या उर्फ मांगीलाल पुत्र किशनलाल जाति माली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी— | 626 | 0.51 है0 | बरानी—2 | दक्षिण पश्चिम |
| | | 717 | 0.03 है0 | चाही—1 | पश्चिम |
| | | 722 | 0.09 है0 | चाही—1 | पश्चिम |
| | | किता 3 | 0.63 है0 | | |

| खाता सं० | खातेदार का नाम | ख०नं० | रकबा | किस्म | दिशा |
|----------|--|------------|----------|------------|--------------|
| 105 | पुष्पाबाई पुत्री बाला पत्नी मांगीलाल जाति माली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी- | 626 | 0.50 है० | बरानी-2 | उत्तर पश्चिम |
| | | 717 | 0.03 है० | चाही-1 | पूर्व |
| | | 722 | 0.08 है० | चाही-1 | मध्य |
| | | 180 | 0.01 है० | गै.मु.कुआं | सम्पूर्ण |
| | | 1023 | 0.23 है० | बरानी 1 | पूर्व |
| 292 | | 630 / 1259 | 0.05 है० | बरानी 2 | सम्पूर्ण |
| | | किता 6 | 0.90 है० | | |

| खाता सं० | खातेदार का नाम | ख०नं० | रकबा | किस्म | दिशा |
|----------|--|--------|----------|------------------|----------|
| 105 | तुंग्या पुत्र भारमल जाति माली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी- | 626 | 1.01 है० | बरानी-2 | पूर्व |
| | | 717 | 0.05 है० | चाही-1 | मध्य |
| | | 722 | 0.16 है० | चाही-1 | पूर्व |
| | | 179 | 0.03 है० | गै.मु. खेल मेदान | सम्पूर्ण |
| | | किता 4 | 1.25 है० | | |

| खाता सं० | खातेदार का नाम | ख०नं० | रकबा | किस्म | दिशा |
|----------|--|------------|----------|---------|----------|
| 105 | मन्दिर श्री शंकर पार्वती जी माली समाज ग्राम भैंसडा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी- | 1023 | 0.69 है० | बरानी-2 | पश्चिम |
| | | 629 / 1258 | 0.15 है० | बरानी-2 | सम्पूर्ण |
| | | किता 2 | 0.84 है० | | |

तहसीलदार अटल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटल जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इबतदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री रामनिवास मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 55/2023
रजि0नं0-2023/106

दायर दिनांक 22.06.2023

उनवान

1. तुंग्या पुत्र भारमल जाति माली निवासी भैसड़ा हाल रेतीपाड़ा कोटा रोड़ सांगोद कोटा।
2. पुष्पाबाई पुत्री बाला पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी भैसड़ा हाल सांगोद बपावर जिला कोटा

वादीगण

--:बनाम:-

1. पांच्या पुत्र किशना जाति माली निवासी भैसड़ा हाल बैसार तह0 खानपुर जिला झालावाड़।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां।
3. मंदिर श्री शंकर पार्वती माली समाज विराजमान ग्राम भैसड़ा जयें व्यवस्थापक जगदीश पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी भैसड़ा तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण- विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादी- विद्वान अभिभाषक श्री कन्नुप्रिय सुमन प्रति. क्रम 1

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम भैसड़ा के खाता संख्या 105 के ख0 नं0 179 रकबा 0.03 है0, ख0न0 180 रकबा 0.01 है0, ख0न0 626 रकबा 2.02 है0, ख0न0 717 रकबा 0.11 है0, ख0न0 722 रकबा 0.33 है0 कुल कित्ता 5 रकबा 2.50 है0 तथा खाता संख्या 292 ख0न0 1023 रकबा 0.92 है0, ख0न0 629/1258 रकबा 0.15 है0, ख0न0 630/1259 रकबा 0.05 है0 कुल कित्ता 3 रकबा 1.12 है0 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

| खाता सं0 | खातेदार का नाम | ख0नं0 | रकबा | किस्म | दिशा |
|----------|--|----------|----------|---------|---------------|
| 105 | पांच्या उर्फ मांगीलाल पुत्र किशनलाल जाति माली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी- | 626 | 0.51 है0 | बरानी-2 | दक्षिण पश्चिम |
| | | 717 | 0.03 है0 | चाही-1 | पश्चिम |
| | | 722 | 0.09 है0 | चाही-1 | पश्चिम |
| | | कित्ता 3 | 0.63 है0 | | |

| खाता सं० | खातेदार का नाम | ख०नं० | रकबा | किस्म | दिशा |
|----------|--|------------|----------|------------|--------------|
| 105 | पुष्पाबाई पुत्री बाला पत्नी मांगीलाल जाति माली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी- | 626 | 0.50 है० | बरानी-2 | उत्तर पश्चिम |
| | | 717 | 0.03 है० | चाही-1 | पूर्व |
| | | 722 | 0.08 है० | चाही-1 | मध्य |
| | | 180 | 0.01 है० | गै.मु.कुआं | सम्पूर्ण |
| | | 1023 | 0.23 है० | बरानी 1 | पूर्व |
| 292 | | 630 / 1259 | 0.05 है० | बरानी 2 | सम्पूर्ण |
| | | किता 6 | 0.90 है० | | |

| खाता सं० | खातेदार का नाम | ख०नं० | रकबा | किस्म | दिशा |
|----------|--|--------|----------|------------------|----------|
| 105 | तुंग्या पुत्र भारमल जाति माली के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी- | 626 | 1.01 है० | बरानी-2 | पूर्व |
| | | 717 | 0.05 है० | चाही-1 | मध्य |
| | | 722 | 0.16 है० | चाही-1 | पूर्व |
| | | 179 | 0.03 है० | गै.मु. खेल मेदान | सम्पूर्ण |
| | | किता 4 | 1.25 है० | | |

| खाता सं० | खातेदार का नाम | ख०नं० | रकबा | किस्म | दिशा |
|----------|---|------------|----------|---------|----------|
| 105 | मन्दिर श्री शंकर पार्वती जी माली समाज ग्राम भैंसडा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी- | 1023 | 0.69 है० | बरानी-2 | पश्चिम |
| | | 629 / 1258 | 0.15 है० | बरानी-2 | सम्पूर्ण |
| | | किता 2 | 0.84 है० | | |

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(रामनिवास मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.09.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

| मुदई | | मुदालयह | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत० |
| महन्ताना वकील | मुत० | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)